

कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों की शिक्षा का वर्तमान स्वरूप



डॉ.नीतू सिंह तोमर

एम.ए., पी.-एच.डी. समाजशास्त्र,

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली

सारांश— केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनसामान्य के कल्याण के लिए शैक्षिक योजनाओं के अध्ययन उपरान्त मैंने उ.प्र. राज्य के जनपद फर्रुखाबाद एवं औरैया के व्यक्तियों की शैक्षिक समस्याओं के अन्तर्गत छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.से सम्बद्ध 1038 कालेजों में से 72 डिग्री कालेजों सहित प्राथमिक, माध्यमिक, टेक्नीकल विद्यालयों और ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में जाकर शिक्षण एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था देखी और अध्ययनरत विद्यार्थियों, किशोरों, युवाओं से वार्ता कर उनकी शिक्षा और निरक्षरता की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया। जिसके फलस्वरूप 90-95% कृषक-श्रमिक निरक्षर मिले। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 85-95% स्त्रियाँ, 80-90% पुरुष, शहरी क्षेत्रों में लगभग 80-90% स्त्रियाँ, 70-80% पुरुष निरक्षर मिले। दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह मिली जहाँ की अशिक्षा और निरक्षरता 95-100% बनी हुई है। निम्न से उच्च शिक्षित अधिकांश छात्रों, किशोरों, युवाओं को सूर्योदय एवं सूर्यास्त की दिशाओं एवं अक्षरों का ज्ञान नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद-प्रदेश के निवासी हैं। लिखना-पढ़ना उनके वश की बात नहीं। निरक्षरता व अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध फर्रुखाबाद जनपद में संचालित 1 राजकीय, 7 एडिड, 68 स्ववित्तपोषी तथा औरैया जनपद में संचालित 1 राजकीय, 3 एडिड, 73 स्ववित्तपोषी कालेज हैं। इन अधिकांश कालेजों में शिक्षकों और पढ़ाई तथा मानकी शिक्षण का अभाव होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश तो दिया जाता है परन्तु शिक्षण व प्रयोगिक कार्य नहीं कराया जाता है। इनमें पूरे सत्र छात्र अनुपस्थिति के बावजूद परीक्षाकाल में छात्र उपस्थित पूरी रहती है और बोल-बोलकर नकल करायी जाती है। इन कालेजों से विश्वविद्यालय के अधिकांश उड़नदस्ते रु.20000-25000 तक पक्ष में रिपोर्ट लगाने के नाम पर वसूली करते हैं। स्ववित्तपोषी कालेज प्राचार्य-प्राध्यापकों के साक्षात्कार लेने वाली समिति के एकपट्ट वि.वि. गेस्ट हाउस में बैठकर प्रबन्धकों से रु.15000 से भरा लिफाफा प्रत्येक सदस्य वसूलते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक चौकाने वाली बात यह है कि वि.वि. परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक छात्र-छात्रा की कालेज-कक्षा में उपस्थिति 75% अनिवार्य होने एवं कालेज शिक्षण कक्ष, लैब, लाइब्रेरी नेट कैमरे से जुड़े होने के बावजूद शिक्षण व शिक्षक-छात्र उपस्थित नहीं होती हैं त उपस्थिति शिक्षण 75% फर्जी दिखाकर और धन लेकर नकल परीक्षाएँ कराकर डिग्री वंटन जारी हैं, जो व्यक्ति और समाज के लिए व्यर्थ सिद्ध हो रही है।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिकांश कालेजों की प्रबन्धतंत्रों के पदाधिकारी-सदस्य स्थानीय समुदायों के जन-साधारण, शिक्षाविद्, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन-योजना के मानकानुरूप हैं। इन प्रबन्धतंत्रों में स्वयं-भू अध्यक्ष और उनके परिजन सगे-सम्बन्धी सदस्य-पदाधिकारी-सदस्य हैं। यह अपने निजी लाभ हेतु शिक्षा को दूषित कर रहे हैं। यह उच्चशिक्षा-यू.जी.सी., सोसाइटी एक्ट-1856, वि. वि. एक्ट-1973 के मानकों की जबरदस्त उपेक्षा कर अयोग्य परिजन-सम्बन्धियों और आपसी हितबद्धों को प्राचार्य-शिक्षक पदों पर आसीन कर तथा कालेजों में शिक्षण कार्य कराए बिना विद्यार्थियों को मनचाही डिग्री का लालच देकर अवैध वसूली व धन उगाही तथा व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकलठेकों' एवं डिग्री बिक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था एवं प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लैब, लाइब्रेरी आदि अमानक हैं तथा विद्यार्थियों व बेरोजगारों से अवैध धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता सम्बन्धी पत्रावलियों में औपचारिकतावश जो प्राचार्य, शिक्षक अनुमोदित होते हैं वह कभी कालेजों में नहीं आते हैं। उनमें अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवाकाल में शिक्षण की सदैव उपेक्षा की है और अब कहते हैं कि मुझसे जूनियर कार्यवाहक-प्राचार्य मुझे क्लास शिक्षण करने का निर्देश कैसे दे सकता है? कहकर क्लास शिक्षण कार्य कभी नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय से अनुमोदित अधिकांश प्राचार्य व शिक्षकों ने अपने प्रमाण-पत्रों को कालेज मान्यता-अनुमोदन हेतु किराए पर देकर रु.20,000-25000 वार्षिक लिए जा रहे हैं और कुछ शिक्षकों को नियमित कालेज आने पर रु.6000-10000 मासिक भुगतान दिया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित वेतन के फर्जीबाड़े में इनके वेतन भुगतान के बैंक खातों में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ जारी हैं। जिसके कारण पात्र व्यक्ति रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेजों में अर्ह शिक्षकों को मानकी वेतन नहीं दिया जाता है। प्रबन्धतंत्रों के लोग अर्ह शिक्षकों को वेतन-भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानकयुक्त वेतन-भत्ते नहीं देते हैं। शिक्षक 'द्यूशनबाजी' में संलिप्त हैं। शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की जगह परिजनों, सम्बन्धियों आपसी हितबद्धों के स्वलाभ उद्देश्यों से मानक विरुद्ध निर्मित समितियाँ एवं उनकी प्रबन्ध समितियों की संबद्धताएँ पूर्णतया अवैध हैं।

कालेजों की शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन एवं जनसम्पर्क के आधार पर प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि, डिग्री कालेजों की प्रबन्ध समितियाँ एवं प्रबन्धतन्त्र कालेज सम्बद्धता-मान्यता पत्रावली में फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक तथ्यों-प्रपत्रों एवं शपथ-पत्रों को जोड़-तोड़ कर और स्वयं मनमाने ढंग से प्रमाणित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा शिक्षाविभाग एवं विश्वविद्यालय के लोगो से सांठगांठ एवं धन-लालच के प्रभाव से मनचाहे साक्षात्कार, नियुक्ति, जाँच के फर्जी प्रपत्र बनाकर विश्वविद्यालय-बोर्ड की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं तथा शिक्षा विकास निधियाँ हड़पकर निजी उपभोग तथा भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबन्धतन्त्रों के लोगों एवं उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा, छात्र, बेरोजगार एवं समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रकटीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ व अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। नकल, द्यूशन, बिना पाठन डिग्री-उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण एवं जिला प्रशासन-शिक्षा प्रशासन की जबाबदेही तथा जनसाधारण के हितों की सुरक्षा हेतु शिक्षा के मानकीय प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

कीवर्ड: विद्यालय-शिक्षा केंद्र, एडिड-वित्तीय सहयोग, स्ववित्तपोषी-चंदा, दान, शुल्क से संचालित विद्यालय, सम्बद्ध-जुड़े

प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं जरूरतों के अनुकूल ही अपनी शिक्षा व्यवस्था करता है। किसी समाज की मान्यता एवं आवश्यकता उसकी सामाजिक संरचना तथा भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल होती है। समाज में होने वाले परिवर्तन भी उसके स्वरूप एवं जरूरतों को बदलते हैं। इसके अनुसार उनकी शिक्षा का स्वरूप बदलता है। समाज की संरचना एवं भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ एवं संस्कृति,

सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण एवं धर्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ तथा संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जिस समाज में जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वैसी ही उस समाज की संरचना होने लगती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा आधारभूत भूमिका अदा करती है। शिक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए मानकपूर्ण विद्यालय, पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रयोगशाला एवं योग्य शिक्षक, **स्वास्थ्य** जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त भोजन, औषधि, **सुरक्षा** के लिए न्याय तथा **अपराध** के लिए दण्ड बुनियादी जरूरत है। हमारा लोकतान्त्रिक संविधान जनसामान्य के संरक्षण एवं उसकी जरूरतों की पूर्ति व्यवस्था हेतु दृढ़ संकल्पित है।

शिक्षा का उद्देश्य: बालक में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसमें सामाजिक कुशलता के गुणों का विकास करना होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पक्ष—अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, अनुशासन, परीक्षा साधन, शिक्षक, बालक और स्कूल—कालेज हैं जिसकी आधुनिक धारणाएँ क्रमशः विकास, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक कुशलता, बाल के प्रति क्रिया प्रधान—सामाजिक अध्ययन, खेल और योजना, आत्म अनुशासन, वस्तुनिष्ठा, प्रगतिपत्र, वर्धन के लिए, लिखित विवरण, अनौपचारिक, निज—दार्शनिक—पथप्रदर्शन, सक्रिय और सामाजिक लघुरूप है।

जनगणना—2011 के अनुसार, **भारत** की जनसंख्या 1210193422 (पुरुष 623724248, स्त्रियाँ 586469174) एवं कुल साक्षरता 74.04% (पुरुष 82.14%, स्त्रियाँ 65.46%) तथा लिंगानुपात 1000: 940 हैं। शिक्षापूर्ति के लिए देश में 756950 प्राथमिक स्कूल, 300008 उच्च प्राथमिक स्कूल, 165087 उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालय, 981 केन्द्रीय विद्यालय, 576 नवोदय विद्यालय, 11458 महाविद्यालय, 2260 महिला महाविद्यालय, 7024 व्यवसायिक डिग्री कालेज, 371 विश्वविद्यालय, 268 राज्य विश्वविद्यालय, 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 2388 तकनीकी—इंजीनियरिंग, 1137 एम. सी. ए. कालेज हैं। शोध स्तर पर शैक्षिक अनुन्धान, प्रशिक्षण परिषद, यू.जी.सी. तथा पत्राचार स्तर पर राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय व इंदिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा 15—35 वर्ष आयुवर्ग के लोगों की निरक्षरता समाप्त हेतु साक्षरता केन्द्र चल रहे हैं। **जनगणना—2011** के अनुसार, **उ. प्र. राज्य** का कुल क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी, जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति/वर्गकिमी, लिंगानुपात 1000 : 918 है। कुल जनसंख्या 199812341, नगरीय जनसंख्या 44495063, ग्रामीण जनसंख्या 155317278 व साक्षरता 67.7% है। कुल साक्षर जनसंख्या 135272955, जिनमें 77511403(77.3%) पुरुष, 77376130 (57.2%) स्त्रियाँ हैं।

जनगणना—2011 के अनुसार, जनपद औरैया का कुल क्षेत्रफल 22054 वर्ग किमी., जनसंख्या घनत्व 681 व्यक्ति/किमी, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 864 स्त्रियाँ तथा कुल जनसंख्या 1372287 जिसमें 233204 जनसंख्या नगरीय है तथा कुल साक्षरता 80.25% हैं। **जनगणना—2011** के अनुसार, फर्रुखाबाद जनपद का कुल क्षेत्रफल 2181 वर्ग कि.मी., जनसंख्या घनत्व 865 व्यक्ति/कि.मी., लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 874 स्त्रियाँ तथा कुल जनसंख्या 1887577 (1007479 पुरुष, 880098 स्त्रियाँ) है। कुल साक्षर जनसंख्या 1125457(70.57%) में पुरुष 676067(79.34%) एवं स्त्रियाँ 449390 (60.51%) हैं। फर्रुखाबाद एवं औरैया जनपद के विद्यालयों में बड़ी संख्या में प्राचार्य, अध्यापक, प्रेरक, अनुदेशक, कोऑर्डिनेटर, शिक्षाधिकारी—कर्मि कार्यरत हैं। जिनके वेतन—भत्तों व छात्रवृत्तियों पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है। इसके बावजूद विद्यालयों में पढ़ाई न होने से कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिपाल्यों को इन विद्यालयों में पढ़ाने को तैयार नहीं है। फर्रुखाबाद व औरैया जिले के विद्यालयों में स्कूल जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों व पढ़ाने वाले शिक्षकों का अभाव है। सरकारी स्कूलों में पंजीकृत अधिकांश निजी स्कूलों के छात्र हैं या कभी स्कूल नहीं आते व अधिकांश पूर्णतया निरक्षर हैं।

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनसामान्य के कल्याण हेतु शैक्षिक योजनाओं के अध्ययन उपरान्त मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद और औरैया के व्यक्तियों की शैक्षिक समस्याओं के अन्तर्गत **छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध 1038 कालेजों में से 72 डिग्री कालेजों** सहित प्राथमिक, माध्यमिक, टेक्नीकल विद्यालयों और ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में जाकर शिक्षण एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था देखी और प्राचार्यों, शिक्षकों, प्रबंधतंत्रों, विद्यार्थियों, किशोरों, अभिभावकों, जनता से बातचीत कर शिक्षा और निरक्षरता की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया। जिसके परिणामस्वरूप 90—95% कृषक—श्रमिक निरक्षर मिले। ग्रामीणक्षेत्रों की लगभग 85—95% स्त्रियाँ, 80—90% पुरुष, शहरी क्षेत्रों में लगभग 80—90% स्त्रियाँ, 70—80% पुरुष निरक्षर मिले। दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह मिली जहाँ की अशिक्षा और निरक्षरता 95—100% बनी हुई है। निम्न से उच्च शिक्षित अधिकांश छात्रों, किशोरों, युवाओं को सूर्योदय एवं सूर्यास्त की दिशाओं एवं अक्षरों का ज्ञान नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद—प्रदेश के निवासी हैं। लिखना—पढ़ना उनके वश की बात नहीं। निरक्षरता व अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

शिक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए मानकपूर्ण कालेज, पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रयोगशाला एवं योग्य शिक्षक, स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त भोजन, औषधि, सुरक्षा के लिए न्याय तथा अपराध के लिए दंड बुनियादी जरूरत है। हमारा लोकतान्त्रिक संविधान जन-सामान्य के संरक्षण एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवस्था हेतु दृढ़ संकल्पित है परन्तु अनेक स्वार्थी लोग सरकारी व्यवस्था में घुसपैठ कर लोकतान्त्रिक व्यवस्था और शिक्षा को ध्वस्त कर रहे हैं और जीवन की बुनियादी शिक्षा शिक्षणहीन, शिक्षकविहीन, नकलयुक्त एवं उद्देश्यहीन हो गई है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, एडिड एवं स्ववित्तपोषी कालेज						
क्र	विश्वविद्यालय	जनपद	कुलकालेज	वित्तपोषित कालेज	स्ववित्तपोषितकालेज	राजकीयकालेज
1	सी.एस.जे.एम.कानपुर	कानपुर नगर	167	22	144	1
2	सी.एस.जे.एम.कानपुर	कानपुरदेहात	87	2	84	1
3	सी.एस.जे.एम.कानपुर	फर्रुखाबाद	76	7	68	1
4	सी.एस.जे.एम.कानपुर	कन्नौज	85	2	80	3
5	सी.एस.जे.एम.कानपुर	इटवा	58	3	54	1
6	सी.एस.जे.एम.कानपुर	औरैया	72	3	68	1
7	सी.एस.जे.एम.कानपुर	लखीमपुर	60	3	56	1
8	सी.एस.जे.एम.कानपुर	हरदोई	136	2	132	2
9	सी.एस.जे.एम.कानपुर	रायबरेली	73	4	66	3
10	सी.एस.जे.एम.कानपुर	सीतापुर	80	4	74	2
11	सी.एस.जे.एम.कानपुर	उन्नाव	83	2	78	3
	संबद्धमहाविद्यालय	कुलसंख्या:	977	54	904	19
	सी.एस.जे.एम.कानपुर	मेडि.कालेज	61		61	

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और उससे सम्बद्ध कालेजों में फर्जीबाड़े चरम पर हैं। इससे लगभग 1500 डिग्री कालेज सम्बद्ध हैं। इनमें स्ववित्तपोषी कालेजों के प्राचार्य एवं शिक्षक पदों पर ऐसे लोग छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षक बने हुए हैं, जो अन्य विभागों, कालेजों, विश्वविद्यालयों में नौकरी या व्यापार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य व शिक्षक सम्बन्धित कालेज से नदारत हैं। यह अपने शैक्षिक प्रपत्रों को किराए पर उठा कर दुरुपयोग कर रहे हैं। प्राचार्य-सीट पर प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष-सचिव और उनके परिजन स्वयं-भू प्राचार्य बन बैठ रहे हैं। वि.वि.से अनुमोदित शिक्षकों की जगह कामचलाऊ लोगों को 1000-2000 देकर कम पढ़े लोगों से शिक्षण-खानापूर्ति हो रही है। कालेज नकल-डिग्री के व्यापार से अवैध कमाई में जुटे हैं। जिस कारण उच्चशिक्षा, विद्यार्थी, समाज एवं शिक्षक योग्य बेरोजगारों का जीवन बुरी तरह प्रभावित है और नकल-डिग्री व्यापार से माफिया माला-माल हो रहे हैं।

छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर से संबद्ध फर्रुखाबाद व औरैया जनपद में शैक्षिक संस्थान शिक्षा मानकों की जबरदस्त उपेक्षा कर पैतृक विरासत के रूप में संचालित हो रहे हैं। इन संस्थानों के प्रबन्धतन्त्रों में पूर्व-वर्तमान सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, सचिवों, प्राचार्यों, शिक्षकों, प्रशासकों, अधिकारियों, व्यापारियों, अपराधियों की पदासीनता है। ये कालेज राजनीतिक-नेताओं, कुख्यातों, अपराधियों, अधिकारियों और उनके परिजन-सम्बन्धी आपसी हितबद्धों के निवास, विश्राम, व्यापार, स्वागत, समारोह, चुनावी, अराजकता स्थल एवं अवैध कमाई के अड्डे बने हुए हैं। इनमें अध्ययन-अध्यापन का अभाव है। कहने को शिक्षा व्यवस्था नियमों और उच्च अधिकारियों की निगरानी में है तथा बिना भेद-भाव के शैक्षिक लाभ जन-जन पहुँच रहा है और उच्चशिक्षा के विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को मानकीय पाठ्यक्रम में कुशलता की डिग्री से विभूषित किया जा रहा है। परन्तु वास्तव में शिक्षण-संस्थानों में मानकीय शिक्षण एवं व्यवस्था जबरदस्त उपेक्षित है। कालेज कक्षाओं में छात्र गायब, अनुमोदित प्राचार्य-शिक्षक कालेजों से विलोपित, नकल हेतु 'मुन्नाभाई', बिना शिक्षण परीक्षा, बिना पढ़े उत्तीर्ण, अज्ञानियों को डिग्री आदि फर्जीबाड़ों से डिग्री-कालेज की शिक्षा-व्यवस्था व्यर्थ सिद्ध हो रही है।

छत्रपति शाहूजी महाराज वि. वि. से सम्बद्ध लगभग सभी कालेजों के प्रबन्धतन्त्रों के पदाधिकारी विश्वविद्यालय एक्ट 1973 व सोसाइटी एक्ट 1856 के प्रतिकूल हैं। इन प्रबन्धतन्त्रों कार्यकारणियों में राजनेताओं, राजनीतिक सदस्यों, सरकारी वेतनभागियों, नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षा माफियाओं, संगठित अपराधियों और उनके परिजनों सगे-सम्बन्धियों आपसी हितबद्धों की पदासीनता है। प्रबन्धतन्त्रों के अध्यक्ष-सचिव पदासीनता विरासती-अमानक हो रही है। इन पदों पर पिता-पुत्र, भाई-बहिन, पति-पत्नी, सास-ससुर, मामा-भांजे, साले-बहनोई, ननद-भौजी, मामा-भांजे मनमाने ढंग से लगातार स्वयं-भू पदासीन हैं। इन अमानक प्रबन्धतन्त्रों को उच्चशिक्षा विभाग द्वारा मान्यता एवं विश्वविद्यालय द्वारा

सम्बद्धता देकर शिक्षाधिनियमों की जबरदस्त उपेक्षा की जा रही है। इनके प्रबन्धतन्त्रों के अधिकांश पदाधिकारी और उनके परिजन कालेज भवनों में निवास कर राजनीतिक एवं व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं तथा यह डाइरेक्टर व इनके परिजन स्वयं-भू प्राचार्य बनकर व प्राचार्य सीट पर बैठकर कालेजों में अवैध वसूली कर रहे हैं।

फर्रुखाबाद एवं औरैया जनपदों में संचालित अधिकांश कालेजों में शिक्षकों और पढ़ाई तथा मानकी शिक्षण का अभाव होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश तो दिया जाता है परन्तु शिक्षण-व्याख्यान एवं प्रयोगिक कार्य नहीं कराया जाता है। इनमें पूरे सत्र छात्र अनुपस्थिति के बावजूद परीक्षाकाल में छात्र उपस्थित पूरी रहती है और बोल-बोलकर नकल करायी जाती है। इन कालेजों से विश्व विद्यालय के अधिकांश उड़नदस्ते रु.20000-25000 तक पक्ष में रिपोर्ट लगाने के नाम पर वसूली करते हैं। स्ववित्तपोषी कालेज प्राचार्य-प्राध्यापकों के साक्षात्कार लेने वाली समिति के एक्स्पर्ट विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में बैठकर प्रबन्धकों से रु.15000 से भरा लिफाफा प्रत्येक सदस्य वसूलते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक चौकाने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक छात्र-छात्रा की उपस्थिति 75% अनिवार्य होने के बावजूद और कालेज-कक्ष-लैब-लाइब्रेरी नेट-कैमरे से जुड़े होने के बावजूद शिक्षण और शिक्षक-छात्र उपस्थित नहीं होती हैं और फर्जी शिक्षण-उपस्थिति 75% दिखाकर एवं धन लेकर नकल परीक्षाएँ कराकर डिग्री वंटन जारी हैं जो व्यक्ति और समाज के लिए व्यर्थ सिद्ध हो रही है।

कालेजों की अधिकांश प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्य स्थानीय समुदायों के जन-साधारण, शिक्षाविद्, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप है। अमानक प्रबन्धतन्त्रों के पदाधिकारी सगे-सम्बन्धी एवं आपसी हितबद्ध हैं। यह अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शिक्षा को दूषित कर रहे हैं। सोसाइटी एक्ट-1856, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट-1973, शिक्षा अधिनियमों की उपेक्षाकर स्व:लाभ हेतु परिजनों एवं सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्धों को प्राचार्य-प्राध्यापक पदों पर आसीन कर तथा कालेजों में शिक्षण कार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं को मनचाही डिग्री का लालच देकर अवैध वसूली व धन उगाही एवं व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल-ठेकों' एवं डिग्री बिक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था एवं प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लैब, लाइब्रेरी आदि अमानक हैं तथा छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगारों से मनमाना धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता सम्बन्धी पत्रावलियों में औपचारिकतावश जो प्राचार्य, शिक्षक अनुमोदित होते हैं वह कभी कालेजों में नहीं आते हैं। **उनमे अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेवाकाल में शिक्षण की सदैव उपेक्षा की और अब कहते हैं कि मुझसे जूनियर कार्यवाहक-प्राचार्य मुझे क्लास शिक्षण करने का निर्देश कैसे दे सकता है? कहकर क्लास शिक्षण कार्य कभी नहीं करते हैं।** विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अधिकांश प्राचार्य एवं शिक्षकों ने अपने प्रमाणपत्रों को कालेज मान्यता-अनुमोदन हेतु किराए पर देकर रु.20,000 से 25000 वार्षिक लिए जा रहे हैं और कुछ शिक्षकों को नियमित कालेज जाने पर रु.6000-10000 मासिक भुगतान दिया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित वेतन के फर्जीबाड़े में इनके वेतन भुगतान के बैंक खातों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ जारी हैं। जिसके कारण पात्र व्यक्ति रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेजों में अर्ह शिक्षक को मानकीय वेतन नहीं दिया जाता है। प्रबन्धतन्त्रों के लोग अर्ह शिक्षकों को वेतन-भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानकयुक्त वेतन-भत्ते नहीं देते हैं। शिक्षक 'ट्यूशनबाजी' में संलिप्त हैं। शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की जगह परिजनो, सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्धों के स्वलाभ उद्देश्यों से मानक विरुद्ध निर्मित समितियाँ एवं उनकी प्रबन्ध समितियों की सम्बद्धताएँ पूर्णतया अवैध है।

फर्रुखाबाद एवं औरैया जनपद के बड़े-बड़े विद्यालय भवन सामान्य जनता के लिए व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इन भवनों में पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ देखने को मिल रहा है। यथा शिक्षकों-कर्मचारियों के गुट, गपशप, मोबाइल पर लम्बी वार्ता-गेम्स के नजारे आदि दिखते हैं। अधिकांश शिक्षक यदा-कदा विद्यालय आकर उपस्थिति पंजिका पर साइन कर बिना पढ़ाए चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे ट्यूशन व्यापार व राजनीति में सक्रिय हैं और बिना शिक्षण कार्य वेतन ले रहे हैं। पंजीकृत छात्रों में अधिकांश नौकरी-व्यापार में जुट हैं और विद्यालय पढ़ने नहीं जाते हैं।

शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल, चिकित्सीय, विधि कालेज एवं शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा-माफियाओं द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को नष्ट कर प्रबन्धन एवं शिक्षण में फर्जीबाड़ा कर स्वलाभ कमाया जा रहा है। मानक विहीन समितियाँ धन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता लेकर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही है। कालेजों की शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन एवं जनसम्पर्क के आधार पर प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि, डिग्री कालेजों की प्रबन्ध समितियाँ एवं प्रबन्धतन्त्र कालेज सम्बद्धता-मान्यता पत्रावली में फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक तथ्यों- प्रपत्रों एवं शपथ-पत्रों को जोड़-तोड़ कर और स्वयं मनमाने ढंग से प्रमाणित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय के लोगो से सांठगांठ एवं धन-लालच के प्रभाव से मनचाहे साक्षात्कार-नियुक्ति-जाँच के फर्जी प्रपत्र बनाकर विश्वविद्यालय-बोर्ड की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं तथा शिक्षा विकास निधियों हड़पकर निजी उपभोग

तथा भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबन्धतन्त्रों के लोगों एवं उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा, छात्र, बेरोजगार एवं समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

डिग्री कालेज के प्रबन्धतन्त्रों में पदासीन राजनेता, प्रशासक, शिक्षाधिकारी एवं एडिड स्कूलों के प्राचार्य-शिक्षक-प्रबन्धक, ठेकेदार अपने पद एवं सरकारी धन-सम्पत्ति का दुरुपयोग कर निजी लाभ कमा रहे हैं और फर्जीबाड़े से हड़पे गए सरकारी धन से निजी डिग्री कालेज बनाकर स्वयंभू प्राचार्य बने बैठे हैं। सरकारी-एडिड स्कूलों की भूमि फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकें, स्टेशनरी, निर्माण सामग्री आदि हड़प कर अपने निजी कालेजों में लगा ली है। प्राचार्यों-शिक्षकों का वेतन एवं छात्रवृत्ति धन को हड़पने हेतु बैंकों में फर्जी खाते संचालित कर रहे हैं। खाताधारक के ब्लैंक चेक पर साइनयुक्त पास-बुक प्रबन्धक रखते हैं। सरकारी योजनाओं का धन हड़पने हेतु फर्जी छात्रों की शुल्क प्रबन्धनक स्वयं जमा कर देते हैं और बाद में निकाल लेते हैं तथा अवैध वसूली हेतु अधिकारियों के दबाव में शैक्षिक मूल-प्रमाणपत्र एवं शपथ-पत्र जमा कराते और अपने पास रख लेते हैं।

शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आने वाले विद्यार्थियों से मनमानी शुल्क लेकर वि.वि. पोर्टल पर पंजीयन होता है। कालेज में आने वाले व्यक्तियों को कक्षाओं में आए बिना पूर्ण उपस्थिति, नकल कराकर परीक्षा उत्तीर्ण कराने की गारण्टी देकर मनमानी रकम वसूली जाती है। पढ़ाई हेतु कालेज आने वाले विद्यार्थियों को भ्रमित या मूर्ख बना या अमानक-अयोग्य छात्रों से पढ़वा कर खाना-पूर्ति की जाती है। प्राचार्यों-शिक्षकों-विद्यार्थियों की कालेज-कक्षा उपस्थिति पंजिकाएँ एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति फर्जी बन रही है। काम-चलाऊ शिक्षक एवं उनकी उपस्थिति पंजिकाएँ तो हैं, परन्तु विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य-शिक्षक और उनकी उपस्थित पंजिकाएँ विलोपित हैं। सी.सी.टी.वी. आडियो-वीडियो भ्रामक और उपेक्षित है। कालेज व्यवस्था, शुल्क, शिक्षक, प्राचार्य, प्रबन्धतन्त्र पदाधिकारी, टाइम-टेबिल आदि आवश्यक सूचनाएँ कालेज-विश्वविद्यालय पोर्टल पर नहीं हैं।

कालेज सत्र के परीक्षा केंद्र बनाने में विश्वविद्यालय के अधिकारी नकल-माफियाओं वाले कालेजों को प्राथमिकता देते हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण में खूब धन वसूली होती है। मनचाहे केन्द्राध्यक्ष, प्रक्टिकल-परीक्षक-उड़नदस्ता हेतु धन लिया जाता है। कालेज परीक्षार्थियों से वसूली होती है। वि.वि.के उड़नदस्ते परीक्षा केंद्रों पर दबाव बनाकर धन वसूलते हैं। परीक्षा-कक्षाओं में लगे सी.सी.टी.वी. की दिशा ऊपर या बन्द कर परीक्षार्थियों को बोल-बोल या ब्लैकबोर्ड पर लिख कर नकल कराई जाती है। वि.वि. कर्मचारी-अधिकारी अपनी टेबिल के नीचे हाथ कर रिश्वत भरे लिफाफे लेते हैं। दिखावा हेतु परीक्षा-रिकार्डिड आडियो-वीडियो की सी.डी. वि.वि. में जमा होती है इसके बावजूद सामूहिक नकल वाले कालेजों के परीक्षार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं। वि.वि. के उड़नदस्ते अक्सर उन्हीं कालेजों में धावा बोलकर नकल पकड़ते अथवा डेरा जमाए रहते हैं जो कालेज नकल कराने की सुविधा शुल्क विश्वविद्यालय को देने से बचते हैं। नकल आरोपी कालेज को कालीसूची में डालकर एवं परीक्षा परिणाम रोककर धन उगाही होती है और मानकीय प्राचार्यों-शिक्षकों की कालेज अनुपस्थिति में विद्यार्थियों के प्रवेश-शिक्षण-परीक्षाएँ करायी जाती है।

जनपद के स्ववित्तपोषी कालेजों में प्राचार्यों एवं शिक्षकों की दोहरी पदासीनता है। प्रथम वि.वि. से अनुमोदित सभी शिक्षक और प्राचार्य सम्बन्धित कालेजों से नदारत एवं कागजी खानापूर्ति तक सीमित है तथा द्वितीय अयोग्य-अमानक कामचलाऊ कालेजों में कार्यरत हैं। कामचलाऊ लोगों से कालेज कक्षाओं की खाना-पूर्ति होती है। अनुमोदित शिक्षकों-प्राचार्यों के नाम-प्रपत्र वि.वि. में शामिल कराकर उनकी डिग्री-प्रपत्रों का वार्षिक किराया एकमुश्त देकर कालेज आने से मुक्त रखा जाता है। इसी प्रकार डी.इल.एड-बी.एड-ला आदि कालेजों में प्राचार्यों-शिक्षकों की पदासीनता के फर्जीबाड़े हैं। अनुमोदित अधिकांश प्राचार्य-शिक्षक अन्य विभागों-वि.वि. में अनुमोदित शिक्षक-प्राचार्य, नौकरी-व्यापार में कार्यरत हैं। इन प्राचार्यों-शिक्षकों में अनेक बक्सर, गोआ, मद्रास, आंध्र, बिहार, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल वासी आदि हैं और धन वसूलने यदा-कदा कालेज आते हैं। अनुमोदित प्राचार्य-शिक्षकों के वेतन-भुगतान सम्बन्धी बैंक खातों का संचालन फर्जी होता है तथा अनुमोदित शिक्षकों-प्राचार्यों के बावजूद अयोग्य लोगों की कालेजों में दोहरी पदासीनता हो रही है। सम्बद्ध कालेज शुल्क लेने के बावजूद मानकीय शिक्षकों से शिक्षण नहीं कराते हैं।

जनपद के डिग्री कालेजों में अधिकांश रिटायर्ड शिक्षक-प्राचार्य एवं विलोपित प्राचार्य-शिक्षक पदों पर पदासीन हैं जो अपनी पूर्व सेवाकाल में कक्षाध्यापन की सदैव उपेक्षा करने वाले रहे हैं। इसके बावजूद मानदेय पदों एवं स्ववित्तपोषी कालेजों में प्राचार्य-शिक्षक पदों पर रखे जा रहे अनुमोदित कार्यवाहक-प्राचार्यों-शिक्षकों द्वारा नियमित कक्षाएँ नहीं पढ़ाई जाती हैं जिससे विद्यार्थी मानकीय शिक्षण से वंचित हो रहे हैं तथा प्रबंधकों की कृपा में मानदेय-वेतन हेतु फर्जी उपस्थिति से बंदर-बांट हो रहा है। कालेजों के पंजीकृत अधिकांश छात्र-छात्राएँ कालेज कक्षाओं में सदैव अनुपस्थित रहकर अन्य जिला-राज्य में कोचिंग, नौकरी, व्यापार में लगे हैं, जिनकी कक्षाओं में 75% फर्जी उपस्थिति दिखा परीक्षा में शामिल कराकर डिग्री बण्टन हो रहा है।

स्ववित्तपोषी कालेजों में छात्र तक प्राचार्य/प्रोफेसर/प्रबन्धक बने हुए हैं। इन कालेजों में मानकीय शिक्षण, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक उपकरणों, पुस्तकों आदि का पूर्णतः अभाव है। कहने को तो कालेज छात्रों का पंजीयन ऑनलाइन और शुल्क विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप जमा होती है परन्तु वास्तविकता यह है कि छात्रों से निर्धारित शुल्क लिए जाने के बावजूद बुक-बेग किट, प्रक्टिकल्स, टूर, परीक्षा सेंटर बनवाने, नकल, अंकपत्र, प्रपत्र सुधार एवं अनुपस्थित को उपस्थित बनाने के नाम पर अवैध वसूली होती है तथा फेल छात्रों को पूर्व छात्र की सुविधा न देकर कालेज-शिक्षण शुल्क वसूली जा रही है।

जनपद के डिग्री कालेजों के दलाल-प्रबंधतंत्रों के लोग प्रबंधक-प्राचार्य के रूप में वि.वि.-बोर्ड के चक्कर लगाते रहते हैं और कर्मियों से सांट-गांठ कर टगई करते हैं। स्ववित्तपोषी कालेज परीक्षा ड्यूटी का पारिश्रमिक नहीं देते हैं। वि.वि.से सम्बद्ध स्ववित्तपोषी कालेजों और संचालित पाठ्यक्रमों की कक्षाओं के कक्षाओं में लगे सी.सी.टी.वी. धोखा हैं। स्ववित्तपोषी-एडिड कालेजों में शिक्षण नहीं हो रहे हैं। वेतन एवं शिक्षकों के कार्य फजीबाड़ों तक सीमित है। इनके फर्जीबाड़ों से समर्थित साक्ष्य विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध स्ववित्तपोषी व एडिड कालेजों के प्राचार्य सीट पर प्रबंधकों की पदासीनता, बंद सीसीटीवी., कालेज विलोपित व्यक्तियों का प्राचार्य-शिक्षक पदों पर अनुमोदन, वि.वि. से अनुमोदित प्राचार्य-शिक्षकों का सम्बंधित कालेज कार्यों से पलायन, फर्जी उपस्थिति हस्ताक्षर, फर्जी कार्य-वेतन, शिक्षण अभाव, छात्र अनुपस्थिति, अवैध वसूली, नकल आदि हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड., ला, डी.एल.एड., मैनेजमेण्ट, आयुर्वेद, डिग्री कालेजों में उक्त तथ्यों के अतिरिक्त और भी अनेक अति गम्भीर अनियमितताएँ व्याप्त हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त के कानपुर वि.वि.से संबद्ध फर्रुखाबाद जनपद के डिग्री कालेज व स्थिति

क्र	कालेज	प्रबंधक	प्रबंधतंत्र	प्र.समि	प्राचा	कार्य.प्राचार्य	शिक्ष	पढ़ाते	छात्रउप:	वेतन
1	बद्रीविशाल कालेज फर्रुखा	विनोददुबे	विनोदअध्यक्ष	अमानक	रिक्त	डॉ.अग्रवाल	44	कोईनही	शि.0,प100	एडि
2	डी.एन.कालेज फतेहगढ़	अजयसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डॉ.आरके.गुप्त	22	कोईनही	शि30,प100	एडि
3	भारतीयाकालेज फर्रुखाबाद	राजेंद्रत्रिपाठी	पैतिकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डॉ.विश्रामसिंह	11	कोईनही	शि35,प100	एडि
4	एल.वाई.कालेज कायमगंज	अजयतुर्वेदी	पैतिकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डा.बी.के.राय	14	कोईनही	शि40,प100	एडि
5	विद्या मंदिर कालेज कायमगंज	अरविंदगोय	पैतिकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डॉ.सी.अग्रवाल	4	कोईनही	शि25,प100	एडि
6	आर.पी.कालेज कमालगंज	अश्वनीवर्मा	पैतिकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डॉ.आरटीपटेल	21	कोईनही	शि65,प100	एडि
7	एन.ए.के.पी.कालेज फर्रुखाबाद	हरिदत्तदुबे	पैतिकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डॉ.आभासिंह	11	कोईनही	शि45,प100	एडि
8	काशीरामराज.महावि. फतेहगढ़				रिक्त	डॉ.ममतामधुक	14	7	शि.0,प100	एडि
9	मै.एस.डी.कालेज मोहम्मदाबाद	बाबूसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.अनारसिंह	पला	अयोग्य	शि40,प100	फर्जी
10	के.के.आर.डी.कालेज	बाबूसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.साधनागुप्त	पला	अयोग्य	शि10,प100	फर्जी
11	शकुंतलादेवीकालेज कायमगंज	मिथलेश	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.वेणूसिंह	पला	अयोग्य	शि15,प100	फर्जी
12	पी.डी.महिलाकालेज फतेहगढ़	नागेन्द्रसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.अनीतायाद	पला	अयोग्य	शि45,प100	फर्जी
13	सिटीपब्लिककालेज फतेहगढ़	विजयसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.नीरजसक्से	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
14	एस.डी.महिला मोहम्मदाबाद	अंचलसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.कर्ण सिंह	पला	अयोग्य	शि35,प100	फर्जी
15	रघुराजसिंहकालेज कुबेरपुर	राजीवसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.हितसिंहसो	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
16	सिटीपब्लिककालेज फतेहगढ़	विजयसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.नसीमअहम	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
17	गौतमबुद्धकालेज मतेपुर	सुरेशशाक्य	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.ओ.पी.शर्मा	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
18	पुत्तलामे.कालेज जहानगंज	रामसेवक	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.दयारामकुश	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
19	सगरसिंहकालेज बहोरिकपुर	राजेशकुम	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.ए.के.त्रिवेदी	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
20	रामप्रकाशकालेज मुरहास	रामप्रताप	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.एस.पी.	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
21	कलिकासिंहकालेज नगरिया	नाहरसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.नाहरसिंह	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
22	छविनाथसिंहकालेज मानिकपुर	अजयपाल	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	अभिषेकसिंह	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
23	बाबूसिंहकालेज नबाबगंज	पुष्पेन्द्र सिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.शैलेंद्रसिंह	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
24	गजराजसिंहकालेज रठौरा	श्यामपालया	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.एन.डी.	पला	अयोग्य	शि35,प100	फर्जी
25	नरायणलक्ष्मणकालेज कायमगं	सुरेशचन्द्र	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	सुरेशचन्द्र	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
26	हरिश्चंद्रबी.एड.कालेज फर्रुखाबा	राहुलतिवारी	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.हरिश्चंद्रतिव	पला	अयोग्य	शि10,प100	फर्जी
27	एसडी.लॉकालेज	अनारसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.नागेन्द्रसिंह	पला	अयोग्य	शि15,प100	फर्जी
28	एस.डी.महिलाकालेज फतेहगढ़	अनारसिंह	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	अंचल यादव	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
29	एच.एस.ए.कालेज रजीपुर	अयाबुजदीन	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.आररिजवी	पला	अयोग्य	शि25,प100	फर्जी
30	एसडी.आयुर्वेदिककाले फतेहगढ़	बाबूसिंहय	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	कर्मलडीकराय	पला	अयोग्य	शि45,प100	फर्जी
31	पुरुषोत्तमडिग्रीकालेज	सचिनयादव	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.डी.एस.	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
32	स्वामीआत्मदेवकालेज मोहम्मदा	चन्द्रमुखी	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डा.राजेन्द्रनाथ	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
33	सी.पी.कालेज कायमगंज	सत्यप्रकाश	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.पीरथ	पला	अयोग्य	शि.5,प100	फर्जी
34	रामकृष्णकालेज रानूखड़ा	रामकृष्णवर्मा	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.रामकृष्णवर्म	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
35	छविनाथसिंहकालेज	श्यामापाल	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	अजययादव	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
36	आमप्रकाशवि.कालेज सकवाई	पी.के.गुप्ता	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.शैतानसिंह	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
37	बीरेन्द्रकटियारकालेज राजेपुर	प्रदीपकटिया	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	कुरेनुकटियार	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
38	कृष्णादेवीमहिलाकालेज फर्रुख	अनीतारंजन	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	सोनमतिवारी	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
39	श्विनाथसिंहलॉकाले दहलिया	अजयपाल	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	अभिषेकसिंह	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
40	रामनिवासकालेज चित्रकोटरजे	मीराचतुर्वेदी	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	रिटा.रमेशचौबे	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
41	विनयअवस्थीकालेज अमृतपुर	विनयकुमार	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	प्रभातअवस्थी	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
42	प्रेमनारायनकालेजझसीजहानगंज	रामनारायन	पैतिकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	राजेशचतुर्वेदी	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी

अध्ययन में प्रयुक्त कानपुर वि.वि. से संबद्ध औरैया जनपद के डिग्री कालेज एवं स्थिति

क्र	कालेज	सचिव प्रस	पद-दल	प्रबंधतंत्र-विधितता	प्राचार्य	शिक्षक	पदासीनता	शिक्षण	उपस्थिति	वेतनप्रकृति
1	राजकीय कालेज बिधूना	निदेशक	उच्चशिक्षा	उपराजकीय अमानक	का.वा	चयन	कमी	उपेक्षा	अमानक	राजकीय
2	तिलक कालेज औरैया	सी.एन.पोर	नेता-व्यापा	पैतृकहितबद्धअमानक	डी.के	चयन	कमी-अमा	उपेक्षा	अमानक	एडि/अमा
3	विवे.ग्रामों.कालेजदिबियापु	रामशंकर	कांग्रे.नेता	पैतृकहितबद्धअमानक	हसन	चयन	कमी-अमा	उपेक्षा	अमानक	एडि/अमा
4	जनता कालेज अजीतमल	सुनील दुबे	भाजपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	उपेंद्र	चयन	कमी अमा.	उपेक्षा	अमानक	एडि/अमा
5	मन्मूलाल कालेज सहार	द्विवेदी	रिटायर्ड	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
6	रा.म.लो.कालेजसुजानपुरवा	रेखावर्मा	सपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
7	भारतीय कालेज बेला	अशोकदुबे	भाजपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
8	पब्लिक कालेज बिधूना	रचना	सपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
9	गयादीन कालेज बिधूना	उमायादव	सपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
10	कर्मक्षेत्र कालेज उसरहा	कृष्णकुमार	भाजपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
11	डीलसिंह कालेज बदनपुर	रिंक्यादव	सपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
12	पुतूसिंह कालेज पुसौली	ए.भदौरिया	भाजपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
13	मोहनलाल कालेज बिधूना	उमेशगुप्त	भाजपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
14	तुलसीराम कालेज बिधूना	ओमकार	सपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
15	रामरतन कालेज बिधूना	राजरतन	सपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
16	शिवपदराजकालेज बरू	बृजेशयाद	सपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
17	गायत्री कालेज असेनी	चतुर्वेदी	प्रधानाचार्य	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
18	राजराजीकालेजदिबियापुर	रमातिवारी	बसपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
19	वैदिक कालेज दिबियापुर	अवस्थी	नेता-ठेका	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
20	चौहरीरामकालेजदिबियापुर	शांतिदेवी	रा.इ.कालेज	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
21	जी.एस.कालेज सहायल	गजेंद्रयाद	व्यापारी	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
22	ऋषिमहाराजकालेजफफूद	अरविंदपांडे	अमानक	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
23	रामकुमार कालेज फफूद	मुकेशगुप्त	व्यापारी	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
24	राधाकृष्ण कालेज फफूद	जयतिवारी	भाजपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
25	दर्शन कालेज औरैया	अवनीश	ठेकेदार	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
26	दादाजी कालेज ऐरावत	राज गुप्ता	व्यापारी	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
27	द्वारिकाप्रसादकालेजबिधूना	बी.तिवारी	भाजपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
28	प्रकाशचंद्रकालेज ककोर	अरुणगुप्त	भाजपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक
29	रुकमन कालेज कुदरकोट	विनीत	सपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जी अमा	उपेक्षा	अमानक	अमानक
30	गुलाबसिंह कालेज औरैया	राजावत	भाजपानेता	पैतृकहितबद्धअमानक	फर्जी	फर्जी	फर्जीअमा.	उपेक्षा	अमानक	अमानक

निष्कर्ष: उच्चशिक्षा संस्थानों में अमानक पंजीयन, प्राचार्य, शिक्षक, उपस्थिति, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण, प्रशिक्षण, लैब, पुस्तकालय, डिग्री, डिप्लोमा, प्रबंधतंत्रों की पदासीनता तथा नकल, सरकारी-सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का दुरुपयोग आदि गम्भीर अनियमितताएँ व्यापक रूप से विद्यमान हैं। जिसके कारण उच्चशिक्षा के मानकों सहित विद्यार्थियों तथा देश और समाज का भविष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

सुझाव

- मानकी प्राचार्य-शिक्षक विहीन कालेजों में संचालित डी.इल.एड. व बी.एड.पाठ्यक्रमों में मानकी शिक्षकों व शिक्षण प्रशिक्षण का जबरदस्त अभाव होने से प्रशिक्षणार्थियों का भविष्य बुरी तरह संकटग्रस्त है। कालेजों में अराजकता, फर्जीबाड़ा, नकलठेका, अवैध वसूली, फर्जी पदासीनता, छात्र-शिक्षक पलायन पर जबाबदेह अंकुश लगाना चाहिए।
- डिग्री कालेजों की शिक्षण-व्यवस्था का औचक-निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कार्यवाही तत्काल होना जरूरी है।
- कालेजों हेतु अनुमोदित प्राचार्यों एवं शिक्षकों का सम्बंधित कालेजों से पलायन तथा अनुमोदित प्राचार्यों-शिक्षकों की जगह अयोग्य-अमानक लोगों की पदासीनता के विरुद्ध कार्यवाही एवं कालेज मान्यता निरस्त होनी चाहिए।
- मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, शिक्षाधिकारियों को डिग्री कालेजों का नियमित औचक निरीक्षण करके कार्यवाही करनी चाहिए तथा उच्चशिक्षा-यू.जी.सी. मानकों एवं वि.वि.-सोसाइटी अधिनियमों की उपेक्षा करने वाले फर्जीबाड़ा आधारित कालेजों की मान्यता निरस्त की जानी चाहिए तथा शिक्षा विभाग-वि.वि. के अधिकारियों एवं पेनल के फर्जी निरीक्षणों पर अंकुश लगाना चाहिए एवं कालेजों से गायब अनुमोदित प्राचार्यों-शिक्षकों की डिग्री निरस्तकर कालेजों में पदासीन अमानक प्राचार्यों-शिक्षकों को दण्डित किया जाना चाहिए। मानकीय अर्हताधारी योग्य शिक्षकों से ही शिक्षण कराया जाना चाहिए।
- मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रयोगिकार्य, पुस्तकालय, प्राचार्य एवं कर्मियों का अभाव व अमानकता से शिक्षा एवं उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यापार हो गया है। नकल ट्यूशन, बिना पाठन अज्ञानियों को डिग्री वितरण के व्यवसाय से शिक्षा बुरी तरह प्रदूषित हो रही है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण व जिला प्रशासन की जबाबदेही तथा जनसाधारण के हितों की सुरक्षा हेतु शिक्षा के मानकी प्रावधानों का अनुपालन कराया जाना आवश्यक है।

6. अनेक कालेज ऐसे हैं, जो दबंगो की निजी विरासत एवं निजी आय-सम्पत्ति बने हुए हैं और इनमें पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ दिखता है। अनेक कालेज की भूमि कहीं और भवन-पढ़ाई कहीं और है। अधिकांश स्ववित्तपोषी कालेजों के प्रबन्धतंत्र के पदाधिकारी राजनीतिक एवं सरकारी पदासीनता का दुरुपयोग कर कालेजों के माध्यम से सरकारी धन-सम्पत्ति हड़प कर अवैध लाभ कमा रहे हैं। तत्काल अंकुश लगाना चाहिए।
7. मानकी प्राचार्य-शिक्षक हीन कालेजों में संचालित पाठ्यक्रम-डी.इल.एड.एवं बी.एड. में मानकी शिक्षकों और शिक्षण प्रशिक्षण का जबरदस्त अभाव होने से प्रशिक्षणार्थियों का भविष्य बुरी तरह संकट में है। कालेजों में अराजकता, फर्जीबाड़ा, नकलठेका, अवैध वसूली, फर्जी पदासीनता, छात्र-शिक्षक पलायन पर जबाबदेह अंकुश लगाना चाहिए।
8. विज्ञापन व दलालों के माध्यम से छात्रों को फंसाकर कालेज-कक्षा में पढ़ाए बिना परीक्षा उत्तीर्ण की गारण्टी देकर धन वसूली जारी है। कक्षा में पढ़ाए बिना परीक्षाओं में बिठाकर नकल कराने की गारण्टी पर अंकुश लगाना चाहिए।
9. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध एवं प्राचार्य-शिक्षक हीन कालेजों में संचालित हो रहे अमानक डी.इल.एड पाठ्यक्रमों में मानकीय शिक्षकों व शिक्षण-प्रशिक्षण विहीनता से प्रभावित विद्यार्थियों का भविष्य पर जबाबदेह अंकुश तत्काल लगाना चाहिए तथा डी.इल.एड. फर्जीबाड़ा, नकल परीक्षा, अवैध वसूली, अमानक शिक्षण, शिक्षक-छात्रों की अनुपस्थिति, फर्जी पदासीनता, अमानक शिक्षण पर तत्काल अंकुश लगाना चाहिए और मानकीय शिक्षकों मात्र से ही शिक्षण कराया जाना चाहिए।
10. छत्रपति शाहूजी महाराज वि. वि. कानपुर से सम्बद्ध डिग्री कालेजों के प्रबन्धतंत्रों एवं उनके स्वयं-भू पदाधिकारियों की मानसिकता 'शिक्षा-दान' के स्थान पर सार्वजनिक धन-सम्पत्ति पर स्वामित्व रखकर कालेजों से जबरदस्त निजी लाभ कमाना बनी हुई है और यह अपने सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्धों मात्र को ही प्रबन्धतंत्रों में पदासीनता देकर शिक्षामानकों की उपेक्षाकर एक ही व्यक्ति-परिवार बारंबार पदासीन हो रहे हैं, अंकुश लगाया जाना चाहिए।
11. डिग्री कालेजों में अमानक रूप से संचालित हो रहे डी.इल.एड., बी.एड., एल.एल.बी, एम.बी.ए., चिकित्सा कालेजों एवं मानकी प्रशिक्षक, शिक्षण, प्रशिक्षण हीनता तथा प्रशिक्षक-पलायन व अमानक शिक्षण अव्यवस्था देख कर विद्यार्थियों का रुझान कालेज पढ़ाई की अपेक्षा नकल की ओर मुड़ा है, तत्काल सुधार आवश्यक है।
12. डिग्री कालेज संस्थान हैं जिनका संचालन उच्चशिक्षा-यू.जी.सी. अधिनियमों एवं सार्वजनिक धन से है, मनमानी पर अंकुश अति आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. जिला एवं सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं लेखा प्रभाग, फर्रुखाबाद, वर्ष 2014-15, तालिका-1
2. डॉ.एम.के.मित्तल, साधना प्रकाशन, रस्तोगी स्ट्रीट, सुभाष बाजार, मेरठ-250002, पेज-183
3. डब्लूडब्लूडब्लू.सीएसजेएमयूनिवर्सिटीकानपुर.ओआरजी, कालेज एफीलेशन
4. रमेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था, एमसीग्रेहिल एजुकेशन पब्लिकेशन, ग्रीनपार्क, नईदिल्ली-110016, पेज-18
5. सेंसस ऑफ इंडिया 2011, उ. प्र. सीरीज-10,पार्ट 12-बी, डिक्टेट सेंसस हैंडबुक फर्रुखाबाद, डाइरेक्टोरेट ऑफ सेंसस, ऑपरेशन उ.प्र.
6. उत्तर प्रदेश तथ्य सार, सम-सामायिक घटना चक्र, 188ए/128 एलनगंज, चर्च लेन, इलाहाबाद, वर्ष 2016, पेज 3

दि.05.06.2021

डॉ. नीतू सिंह तोमर